कार्यपालक अभियंता(याँ०) का कार्यालय
सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, औरंगाबाद।

E-mail ID:-eemechabad18@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेषन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)–05/2025–26

पत्रांक ..../ औरंगाबाद   दिनांक ..../.........../2026

सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, औरंगाबाद के अंतर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण एवं नहरों/बराज/अवर प्रमंडलों/प्रशाखाओं के अंतर्गत नहर गेट/निरीक्षण एवं उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु भाडें पर **एक या एक से** अधिक वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) (बोलेरो/सुमो/स्कॉर्पियों/नन ए0सी0/ए0सी0) .के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन ईच्छुक वाहन मालिको/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफॉफे में दिनांक 30.03.2026 को 03.00 बजे अपराह्न तक सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल औरंगाबाद कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 03.30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेगें।

कार्य की विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	वाहन की संख्या	उद्धत दर	अभ्युक्ति
01	सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, औरंगाबाद	01		
02	सिंचाईयॉत्रिकअवरप्रमंडल,औरंगाबाद/नवीनगर शिविर औरंगाबाद /पाकी शिविर मोहम्मदगंज	01		
03	सिंचाई यॉत्रिक अवर प्रमंडल, अम्बा/गोह 2	01		

शर्ते निम्नवत् है:–

भाड़े पर वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) विभागीय निदेशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर हीं वाहन को आगे के लिए रखा जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।

2 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का मॉडल 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।

3 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासान एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा हीं किया जायेगा।

4 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात जी0 एस0 टी0 आदि का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

5 वाहन का कागजात टैक्स, fastag, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा रोड़ टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए। वैध GST एवं PAN CARD निबंधन होना अनिवार्य है।

6 वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।

7 वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया प्रतिदिन ईंधन रहित देय होगा।

Scanned with CamScanner

8 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का (ईधन रहित एवं चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवावाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटयी या बढ़ायी जा सकती है।

9 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का **माईलेज वास्तविक** रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो **मान्य होगा।**

10 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का **उपयोग वाहन मालिक**/वाहन आपूर्तिकर्ता निजि अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।

11 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) का **उपयोग हेतु 24 घंटे** संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति **के कार्यालय परिसर से** बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक /फर्म का दायित्व **होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन** उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तों उस दिन का भाडें **का भुगतान दोगुने दर से कटौती** कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 01 **से 12 तक के शर्तों को स्वीकार** करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक **05 से संबंधित कागजात की सत्यापित** प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगें।

12. एक से अधिक समान **न्यूनतम दर के कोटेषन प्राप्त होने पर दिनांक** 30.03.2026 को 4.00 बजे अपराह्न में वैध कोटेशन **वाहनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन** मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। शपथ पत्र एवं **वाछिंत कागजात नहीं रहने पर कोटेषन अमान्य** कर दिया जाएगा।

13 वाहन का (ईधन रहित **एवं चालक सहित) प्रतिमाह (सभी करों के साथ)** कोटेशन समर्पित करेंगे जो किसी भी परिस्थिति में संबंधित **जिला प्रशासन के द्वारा स्वीकृत दर से** अधिक नहीं होगा।

14 वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) **के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधा**रण वाहन मालिक के जबावदेही होगी, जिसका उपयोग **करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी** आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया **जायेगा।**

15 जिला प्रशासन, औरंगाबाद **द्वारा बोलेरों/स्कार्पियों के निविदत्त दर से** अधिक उद्वत किया गया दर मान्य नहीं होगा।

16 वाहन (वाणिज्य निबंधन **सहित) माह 31 मार्च 2027 तक भाड़े पर रखने** के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा एकरारित **अवधि के दौरान** वाहन का **उपयोग वाहन मालिक**/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी निजी कार्य में **नहीं किया जाएगा।**

17 कोई अन्य जानकारी **कार्यालय में सम्पर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पटट्** के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

ह0/
कार्यपालक अभियंता(याँ०)
सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल,
औरंगाबाद ।

पत्रांक 247/ औरंगाबाद   दिनांक 23/03/2026

प्रतिलिपिः—सूचना एवं **जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना एवं प्रभारी** आई0टी0 सेंन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, **पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु** समर्पित। अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।
अनु०:—Soft Copy (PDF and M.S Word)

20/03/26
कार्यपालक अभियंता(यॉं०)
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल,
औरंगाबाद ।
A. kumar 20/03/26